राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः–एफ.2 (क)/नोटिस/2017–18/ 635 दिनांक– 28.08.18

कार्यमुक्ति आदेश

निदेशालय, कोष एवं लेखा द्वारा जारी स्थानान्तरण आदेश दिनांक 01.11.2017 द्वारा श्री मोहन लाल शर्मा (लिंक नम्बर 5530), सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–। का स्थानान्तरण निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर **(विकास अधिकारी, पंचायत समिति, जवाजा, अजमेर स्थानान्तरणाधीन)** से वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी, जल प्रदाय एवं सीवरेज प्रबन्ध मण्डल, जयपुर किया गया था किन्तु निदेशालय को प्राप्त सूचना के अनुसार श्री शर्मा द्वारा आदिनांक तक नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है।

अतः श्री शर्मा को तत्काल उनके वर्तमान कार्यालय से **दिनांक 28.08.2018 मध्याह्न पश्चात एतद् द्वारा कार्यमुक्त किया जाता है** तथा निर्देश दिये जाते हैं कि श्री शर्मा नवीन पदस्थापन स्थान पर नियमानुसार कार्यग्रहण कर ईमेल–jdp1-ta-rj@nic.in / दूरभाष संख्या 0141–2744134 पर इस निदेशालय को सूचित करेंगे।

श्री शर्मा को यह भी निर्देश दिये जाते है कि निदेशालय के स्थानान्तरण आदेशों की पालना आदिनांक तक नहीं किये जाने के सम्बन्ध में **कारणों सहित अपना स्पष्टीकरण** 3 कार्यदिवसों के अन्दर निदेशालय को पत्र/ईमेल के माध्यम से प्रेषित करावें अन्यथा नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी, सूचित रहें।

(मंजुला वर्मा)
निदेशक

क्रमांकः–एफ.2 (क)/नोटिस/2017–18/ 635 दिनांक– 28.08.18

प्रतिलिपि–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर को भेजकर लेख है कि सम्बन्धित लेखाकर्मी को नवपदस्थापन विभाग/कार्यालय में कार्यग्रहण करने हेतु तत्काल कार्यमुक्त करें।
2. वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी, जल प्रदाय एवं सीवरेज प्रबन्ध मण्डल, जयपुर ।
3. श्री मोहन लाल शर्मा, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–।, कार्यालय– निदेशालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
4. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

(अरविन्द दीवान)
अतिरिक्त निदेशक(कार्मिक–I)